

संपादकीय

ट्रूप की गोल्ड कार्ड योजना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड ने पूरी दुनिया को चकमका दिया है। ट्रंप जो कहते हैं वह हमेशा कर भी दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं की जो वह करना चाहते हैं उसे सचमुच कर पाएं, मगर इतना तय है कि उन्होंने पदभार संभालते ही जिस तरह का धूम-धड़ाका किया है उसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। कई देशों को चिंता में डाल दिया है तो कई देशों को अपनी अमेरिकी नीति पर पुनर्विचार करने पर बाध्य कर दिया है। भारत भी ट्रंप की घोषणाओं और उसके क्रियान्वयन से अछूता नहीं है। अवैध प्रवासियों की अपमानजनक वापसी की धमक भारत झेल ही रहा था कि अब उसे गोल्ड कार्ड भी परेशानी में डाल रहा है। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना वास्तव में क्या है कि किसी के समझ में नहीं आई है। इस योजना के मुताबिक 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 44 करोड़ रु पये देकर कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका में बस सकता है और तीव्र गति से अस्थाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए अप्रसर हो सकता है। पहली बात तो यह है कि लोग धन कमाने के लिए लोग धन कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, अपना धन लेकर अमेरिका में बसना नहीं। यहां ट्रंप अमेरिका को एक बिकाऊ माल की तरह बेचना चाहते हैं जैसे कोई अच्छी जमीन बेची जाती है। यानी ट्रंप अमेरिका को ऐसे स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जहां किसी भी देश का कोई व्यक्ति 50 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च कर बसना चाहेगा। क्या सचमुच अमेरिका ऐसा स्वर्ग है? अगर भारत की बात करें तो यहां बहुत बड़ी संख्या धनपतियों की है जिन्होंने अनेकानेक गैर कानूनी तरीकों से धनी इकट्ठा किया है और वह इसकी सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे लोग भारत में सीधे राजनेताओं या राजनीतिक दलों को अपनी सुरक्षा के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। चुनावी चंदे में इस तरह के कई मामले उजागर हुए थे। दूसरी बात जो ट्रंप ने प्रतिभावान विदेशी छात्रों के बारे में कही जो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नागरिकता नहीं मिलने के कारण अपने मूल देश में लौटकर व्यापार करते हैं और करोड़ों में खेलने लगते हैं। सबाल है कि कोई अमेरिकी कंपनी 50 लाख डॉलर देकर ऐसे प्रतिभावान उद्योगों को नौकरी देने में रुचि क्यों दिखाएगी। इसका कोई ठोस तर्क सापेने नहीं है। बहरहाल, जनता की गाढ़ी कमाई को अमेरिका में ले जाकर बसने के भ्रष्ट पूँजीपतियों को गोल्ड कार्ड ने जरूर सुनहरा अवसर दिखा दिया है।

आलेख

तंबाकू सेवन एक वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट

अमरपाल सिंह वर्मा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नेतृत्व में एक ऐसी संधि ने बीस साल पूरे कर लिए हैं, जिसका दुनिया भर में जन स्वास्थ्य को व्यापक लाभ मिला है। विश्व में फ्रेमवर्क कन्वेंशन 10 टोबैको कंट्रोल (एफसीटीसी) नामक यह संधि 27 फरवरी 2005 को हुई थी। अब इसे इतिहास की ऐसी पहल के रूप में स्वीकार्यता मिल गई है जिसे न केवल व्यापक रूप से अपनाया गया है बल्कि जिसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। इस संधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बदौलत लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। मानवता के लिए एक गंभीर संकट बन चुके तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करने में इस संधि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह सर्वविदित है कि तंबाकू मानवता के लिए एक अभिशाप बन चुका है। यह दुनिया में कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों और उनकी वजह से होने वाली मौतों कारण बन रहा है। तंबाकू के कारण हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20 प्रतिशत हृदय रोगियों की मौत के लिए तंबाकू ही जिम्मेदार है। इसके अलावा यह सामाजिक एवं आर्थिक दबाव भी बढ़ता है जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अधिक प्रभावित होते हैं। संधि के तहत कई प्रभावी उपाय अपनाए गए हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वर्तमान में दुनिया के 138 देशों में सिगरेट के पैकेटों पर चेतावनियां दी जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कई देशों में तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग को साधारण कर दिया गया है, जिससे ब्रांडिंग और आकर्षक डिजाइन की संभावनाओं को सम्पादन करने में सहायता है। यह चर्चे को नहीं बदलता है कि यह

समाप्त करने में मदद मिलता है। वह काँचे छाटों बात नहीं है कि इस संधि की बदौलत तंबाकू विज्ञापनों और प्रमोशन पर 66 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष लगाया जा चुका है। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और अन्य बंद इमारतों में धूम्रपान निषेध से निष्क्रिय धूम्रपान के कारण होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद मिली है। इससे ऐसे लोगों का जीवन बचाने में सहायता मिली है, जो खुद सिगरेट का प्रयोग नहीं करते पर धूम्रपान करने वाले अन्य लोगों की वजह से इसका खतरा झेलते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वि की एक चौथाई आबादी ऐसी नीतियों के दायरे में आ चुकी है, जिससे तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई है। डब्ल्यूएचओ ने संधि की 20 वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा है कि तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाव पर केंद्रित यूएन संधि ने पिछले दो दशकों में लाखों-करोड़ों जिंदगियों की रक्षा करने में मदद की है। यह एक तथ्य है कि तंबाकू गैर संचारी रोगों का एक बड़ा कारण है जो न केवल असामयिक मौतों का कारण बनता है, बल्कि इससे प्रभावित लोग विकलांगता का भी शिकार हो सकते हैं। जो गरीब लोग तंबाकू जनित बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उन पर इलाज का भारी बोझ पड़ता है। ऐसे लोग आम लोगों की तुलना में पोषक आहार से भी वर्चित रहते हैं क्योंकि वह अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा महंगे तंबाकू उत्पादों पर खर्च कर डालते हैं। तंबाकू उत्पादन के लिए अत्यधिक जमीन एवं पानी की जरूरत पड़ रही है। अगर तंबाकू के प्रति लोग नकारात्मक रवैया अपनाएं तो इस जमीन व पानी का इस्तेमाल जरूरी खाद्यान्त्र के उत्पादन में किया जा सकता है। यदि तंबाकू का प्रचलन कम हो तो इन संसाधनों का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण ऊर्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यकीनन, इस संधि के तहत बहुत काम किया गया है पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। डब्ल्यूएचओ के और अन्य विशेषज्ञ इस संधि के तहत तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने, विज्ञापन व प्रायोजकों पर रोक लगाने, नये तंबाकू व निकोटीन उत्पादों से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने जैसे विभिन्न उपायों को अपनाने पर बल दे रहे हैं। इस दिशा में सक्रियता से काम होना चाहिए। साथ ही, तंबाकू के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों को और सशक्त करने की आवश्यकता है। लोगों को यह समझाय जाना चाहिए कि तंबाकू सेवन के बावजूद एक व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि यह एक वैैधिक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है।

देश में भुखमरी-कृपोषण रोकने के उपाय....

योगेंद्र योगी

असल चुनौती तो कुपोषण और भुखमरी की भयावहता से निपटने की है। यह समस्या मोटापे की तरह व्यक्तिगत नहीं है। इसके लिए मौजूदा और पिछली केंद्र की सरकारों के साथ राज्यों की सरकारें भी जिम्मेदार हैं भारत विडंबनाओं से भरा देश है। इन्हीं में से एक है मोटापा और भुखमरी। इनमें एक जुड़ाव भी है। एक तरफ अनावश्यक और अत्यधिक खाने से बढ़ने वाला मोटापे से होने वाली बीमारियाँ राष्ट्रव्यापी समस्या बनती जा रही हैं, वहाँ दूसरी तरफ आबादी का एक बड़े हिस्सा दो वर्क का भरपेट भोजन नसीब नहीं होने से कुपोषित होकर रोगप्रस्त हो रहा है। यदि मोटापा खत्म या नियंत्रित हो जाए तो इससे भुखमरी व कुपोषण के लिए धन की कमी पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 119वीं शृंखला में देश में बढ़ती मोटापे की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं और भारत में मोटापे की व्यापकता पर ध्यान देने की तक्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर छोटे-छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका है कि खाने के तेल में 10 परसेंट की कमी करना। भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के दस प्रसिद्ध लोगों को नॉमिनेट किया। मोटापा सिर्फ सेहत का मसला नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। एक नई स्टडी के अनुसार भारत में मोटापे का आर्थिक बोझ 2030 तक बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगा। यह लगभग 4700 रुपए प्रति व्यक्ति होगा, जोकि जीडीपी का 1.57 प्रीसदी है। ग्लोबल ओवेसिटी ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, 2019 में मोटापे का आर्थिक प्रभाव 2.4 लाख करोड़ रुपए था। यह लगभग 1800 रुपए प्रति व्यक्ति और जीडीपी का 1.02 प्रीसदी था। 2060 तक यह अंकड़ा बढ़कर 69.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो प्रति व्यक्ति 44200 रुपए और जीडीपी का 2.5 प्रीसदी होगा। यह स्टडी बताती है कि मोटापा सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 44 प्रतिशत और 41 प्रतिशत लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। पिछले सर्वेक्षण में यह



आंकड़ा क्रमशः 37.7 फीसदी और 36 फीसदी था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व मोटापा महासंघ ने कहा कि भारत में दुनिया में मोटे व्यक्तियों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है। किसी व्यक्ति को तब मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है जब उसका बीएमआई 27.5 से अधिक हो। पिछले 10 वर्षों में, भारत की मोटापे की दर लगभग तीन गुनी हो गई है, जिसका असर देश की शहरी और ग्रामीण दोनों आवादी पर पड़ रहा है। मोटापे का वैश्विक संकट सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे की दर अधिक है, जो देश के तेज आर्थिक विस्तार और बदलती जीवन शैली मानकों के साथ मेल खाता है। भारत में 100 मिलियन से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। भारत में 12 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं। केरल (65.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (57.9 प्रतिशत), पंजाब (62.5 प्रतिशत) और दिल्ली (59 प्रतिशत) में यह दर बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश (24.9 प्रतिशत) और झारखण्ड (23.9 प्रतिशत) में यह दर कम है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में पहले से ही 14.4 मिलियन बच्चे मोटे हैं। भारत में बचपन में मोटापे के प्राथमिक कारणों में खारब आहार विकल्प, निष्क्रियता और एक गतिहीन जीवन शैली शामिल है। प्रोसेस्ड स्नैक्स और फस्ट पूर्ण की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बच्चे उच्च कैलोरी, कम पोषक तत्व वाले आहार खा रहे हैं, जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा होता है। बचपन में मोटापे के परिणाम व्यापक हैं और

लंबे समय में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मोटे बच्चों को टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग और सांस लेने में कठिनाई जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं होने का उच्च जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निराशा और खराब आत्मसम्मान सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होता है, जो उनके सामान्य स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। विडंबना यह है कि देश मोटाई से होने वाली चुनौतियों से जु़झ रहा है, वहाँ कुपोषण की समस्या से भी जू़झ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल भारत की रैंक में सुधार हुआ है। लेकिन भारत अभी भी गंभीर भूख की समस्याओं वाले देशों में शामिल है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है जो भुखमरी के एक गंभीर स्तर को दर्शाता है। रिपोर्ट में हाल के वर्ष में भारत में कुपोषण के प्रसार में मामूली वृद्धि का उल्लेख किया गया है। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केवल ऊपर है। श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84 स्थान पर भारत से काफी आगे हैं। भारत में कुपोषण की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ बहुत को तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता और जिनको मिलता भी रहा है उनके भोजन में पोषण की भारी कमी है। इसका खामियाजा नन्हे बच्चों को उठाना पड़ रहा है और भारत को अभी भी बाल कुपोषण जैसी गंभीर

चुनौतियों का समाना करना पड़ रहा है, जिसमें विश्व स्तर पर बच्चों में दुबलापन (18.7 प्रतिशत) सबसे अधिक है। देश में बच्चों के बौनेपन की दर 35.5 प्रतिशत, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2.9 प्रतिशत और कुपोषण का प्रसार 13.7 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत में पोषण की स्थिति गंभीर बताई गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक देश में पांच वर्ष से कम उम्र के 31.7 फीसदी बच्चे स्टटिंग का शिकार हैं। मतलब कि ये बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से ठिगने हैं। यह रिपोर्ट 'लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मालन्यूट्रिशन 2023' संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और वर्ल्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। बाल कुपोषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें दुबलापन और बौनापन दोनों ही खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा की गई इस रिसर्च के मुताबिक भारतीय किशोर, नीदरलैंड के समान आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में 15.2 सेमी ठिगने हैं। इसी तरह यदि वेस्टिंग यानी ऊँचाई के लिहाज से वजन को देखें तो देश में भारत में पांच वर्ष या उससे कम आयु के 18.7 फीसदी बच्चों का वजन उनकी ऊँचाई के हिसाब से कम था। मतलब कि 2020 में इस आयु वर्ग के देश के करीब 2.2 करोड़ बच्चे वेस्टिंग का शिकार थे। मोटापे की समस्या से निपटना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जीवनशैली और खानपान में बदलाव के साथ नियमित व्यायाम इत्यादि से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह समस्या व्यक्तिगत है, इसलिए देश के हर व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। ऐसा करने से व्यक्ति और उसके परिवार के साथ देश का भी नुकसान नहीं होगा। असल चुनौती तो कुपोषण और भुखमरी की भयावहता से निपटने की है। यह समस्या मोटापे की तरह व्यक्तिगत नहीं है। इसके लिए मौजूदा और पिछली केंद्र की सरकारों के साथ राज्यों की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। इस समस्या से निपटने के लिए धन और भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। विशेषकर मोटापे से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोक कर कुपोषण और भुखमरी जैसी अमानवीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राजनीतिक दल जब तक अपने निहित क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ कर ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर एकराय नहीं होंगे।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-25 समृद्धि, आर्थिक सशक्ति करण और वैश्विक सम्मान का अद्भुत आयाम.....

रमेश शर्मा

भाषाल म सपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कवल निवेश और औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है। इससे पूरे भारत के समग्र विकास और आर्थिक समुद्धि के नये द्वारा खुले हैं। इसके साथ यह समिट वैश्विक स्तर पर मध्यप्रदेश की छवि और सम्मान बढ़ाने का भी माध्यम बनी। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है। इसके बहुआयामी लाभ होंगे। जिस प्रकार यह संसार दो प्रकार का है। एक दृश्यमान और दूसरा अदृश्यमान। सृष्टि की कुछ ऊर्जाएँ ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देतीं फिर भी जीवन संचालन में सहयोगी होतीं हैं। उसी प्रकार निवेश इस इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्तावों के आकार लेने के बाद इसका परोक्ष प्रभाव भी मध्यप्रदेश के समाज जीवन पर होगा। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार ने समिट आयोजन से पहले कुछ अतिरिक्त तैयारी की है और औद्योगिक विकास को विरासत से भी जोड़ा है। यह प्रदेश आध्यात्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने इन सबको जोड़कर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की विधाएँ जोड़कर इन

क्षेत्रों में निवेशकों को आमर्तित किया था। इन चारों विधाओं में मध्यप्रदेश का स्थान सबसे अलग है। इतिहास में जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ मध्यप्रदेश की छवि एक समृद्ध और प्रतिष्ठित भूक्षेत्र के रूप में उभरती है। लाखों वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के चिन्ह हैं। समय के साथ भले स्वरूप बदला हो, राजनैतिक सीमाएँ बदलीं, नाम बदले लेकिन मध्यप्रदेश की प्रसिद्धि बनी रही। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक पूरे विश्व में मध्यप्रदेश आकर्षण का केन्द्र रहा है। यही कारण था कि हर काल-खंड विदेशी पर्यटक भारत आते रहे हैं। ह्यौनसाँग और फाह्यान से लेकर अल्बरूनी तक और कनिधंमं से लेकर स्मिथ तक भारत आने वाला कोई शोधकर्ता ऐसा नहीं जो मध्यप्रदेश न आया हो। इन सबके लेखन में मध्यप्रदेश को समृद्धियों का उल्लेख है। मध्यप्रदेश के वैभव और समृद्धि की झलक कण कण में बिखरी है। इसे संजोने में वाकणकर जी ने अपना जिवन समर्पित कर दिया था। इन सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थलों की कहानियाँ, अनूठे चिन्ह, खनिज एवं वन्य संपदा की विविधता भी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। यही प्रसिद्धि मध्यकाल मध्यप्रदेश के विनाश का कारण बनी थी। लगातार आक्रमणों से यह प्रदेश

विप्रत्रा के अंधकार में ढूब गया। ऐसा अंधकार वि-
इसकी छवि एक बीमारु राज्य की बन गई। स्वतंत्रता
के बाद भी राजनैतिक कारणों से अनेक स्वरूप
बदले गये। मध्यप्रदेश के वर्तमान स्वरूप की सीमा
नवम्बर 2000 में बनी। और विकास की नई यात्रा
आरंभ हुई। इसके साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास
पर जोर दिया गया। डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में
वर्तमान सरकार ने विकास यात्रा को नये आयाम
दिये। डॉ मोहन यादव ने मोदी मंत्र विकास के साथ
विरासत का अमल करते हुये अपने कदम आगे
बढ़ाये। कार्यभार संभालने के पहले दिन से डॉ मोहन
यादव ने प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी के इसमंत्र पर काम
करना आरंभ किया और भारत को विश्व का सबसे
समृद्ध राष्ट्र बनाने के उनके संकल्प को पूरा करने के
केलिये मध्यप्रदेश की सहभागिता सुनिश्चित करने की
दिशा में भी कदम बढ़ाये। यह तभी संभव है जब
भारत का प्रत्येक प्रदेश विकसित और उत्तम हो
24-25 फरवरी को भोपाल में सम्पन्न ग्लोबल
इन्वेस्टर्स समिट इसी दिशा में एक क्रौंतिकारी कदम
है। मध्यप्रदेश की यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
अचानक आयोजित नहीं हुई। इससे पहले राज्य
सरकार ने पर्याप्त होम वर्क किया था। यह होमवर्क
तीनों प्रकार से हुआ। एक ओर मध्यप्रदेश के प्रत्येक

जिले में पानी, बिजली, परिवहन और भूमि की उपलब्धता का विवरण तैयार किया गया, दूसरी ओर भारत ही नहीं पूरे संसार के प्रतिष्ठित उद्योग समूहों से उनकी रुचि के उद्योगों को प्राथमिकता में रखकर चर्चा की गई और तीसरा मध्यप्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन हुये। सरकार के केवल चौदह महीने के कार्यकाल में सात रीजनल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हुई। इन तीनों प्रकार की तैयारी के बाद यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। इन चौदह महीनों में मध्यप्रदेश में निवेश प्रस्तावों का मानों एक नया कीर्तिमान बनाया है। कुल 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 21.40 लाख नए रोजगार के अवसर सुजित होने की संभावना है। इस ग्लोबल समिट में 300 से अधिक प्रमुख उद्योगों के चेयरमैन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने समिट में हिस्सा लिया। भारत का ऐसा कोई उद्योग समूह नहीं जिसके प्रतिनिधि इस समिट में सहभागी न बने हों। उनके साथ 600 से अधिक बिजनेस टू गवर्नमेंट और 5,000 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठकें हुईं। निवेशकों और सरकार के बीच इस संवाद से औद्योगिक विकास की दिशा में एक मजबूत विश्वास बढ़ा है।

आयकर सुधार की ऐतिहासिक पहल...

डा. जयंतीलाल भंडारी

नए आयकर विधेयक में गलत या अधूरी जानकारी देने पर भारी जुर्माना सुनिश्चित किया गया है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पैनलटी है। आय छिपाने पर अकाउंट सीज और संपत्ति जब्त करने के अधिकार होंगे। इन सबसे आयकर संग्रहण बढ़ेगा और ईमानदार करदाताओं को लाभ होगा। निश्चित रूप से एक अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर कानून की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि इस कानून को कितने कारण तरीके से लागू किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया नया आयकर विधेयक भारत की आयकर व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता के साथ-साथ राजस्व बढ़ाने के लिए एक बड़ी कोशिश का अहम हिस्सा है। वित्तमंत्री सीतारमण ने पिछले वर्ष जुलाई 2024 के बजट भाषण में कहा था कि मौजूदा आयकर कानून की कई धाराएं अपनी प्रासारिंगता खो चुकी हैं। ये धाराएं विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूरसंचार, पूँजीगत लाभ सहित कर छूट एवं कटौती जैसे मामलों में



स्थापना का गई। पछले एक दशक से आयकर कानून में जो अहम सुधार किए गए हैं, उससे जहां आयकरदाताओं को सुविधा मिली, वहीं आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। इन सुधारों में प्रमुख रूप से करदाता चार्टर (टैक्सपेयर चार्टर) और पहचान रहित समीक्षा (फेसलेस असेसमेंट) तथा करदाताओं के लिए पहचान रहित अपील (फेसलेस अपील) व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नॉन फैलर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमए) के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन विभिन्न प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाला का संबंधित अपील संग्रह में तेज वृद्धि देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते करने वाले, महंगी आरामदाही विलासिता की वस्तुओं का उपयोग वाले तथा पर्यटन के लिए विदेशी करने वालों में से भी बड़ी संख्या या तो आयकर न देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विदेशी भवित्व का बहुत कम आयकर देते हैं। इसके अलावा एनएमए के अधिक लोगों में से सिर्फ 8% लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जिसका अर्थ यह है कि भारतीय लोगों ने शून्य आय को सूचना दी। सिर्फ 3.5% लोगों ने ही आयकर दिया है।

के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आयकर का योगदान बहुत कम बना हुआ है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। वस्तुतः कर संग्रह में तेज वृद्धि से बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की क्षमता बढ़ती है। सरकार की मुद्रियों में बढ़ता कर राजस्व न केवल अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण में मदद करता है, बल्कि यह सरकार को अपने करदाताओं के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। साथ ही यह वित्तीय वर्ष की बेहतर योजना और बजट बनाने में मदद करता है। खासतौर से इस समय जब वर्ष 2047 में देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तब जीडीपी में आयकर का योगदान बढ़ाया जाना जरूरी दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि आयकर संबंधी विभिन्न मुश्किलों और चुनौतियों के निराकरण के लिए नए आयकर विधेयक में प्रभावी प्रवाधन दिखाई दे रहे हैं। नए आयकर विधेयक को संक्षिप्त, स्पष्ट तथा पढ़ने-समझने में आसान बनाते हुए 23 अध्यायों में समेटा गया है। इस विधेयक में 622 पृष्ठ हैं, जबकि मौजूदा कानून में 823 पृष्ठ हैं। शब्द संख्या भी घटाई गई है।

संक्षिप्त समाचार

**मुनि निरोग सागर जी महाराज ने कहा—
दान छुपाकर दो छपाकर नहीं दें**



सागर (विश्व परिवार)। इस शरीर को साफ करने के लिए आप जिस प्रकार साबुत लगाक के साफ करते हैं उसी प्रकार आत्मा को साफ करने के लिए गृहस्थों के लिए देव, शाश्वत, युग पूजा, दान आदि हैं पापों को साफ करने के लिए दान सबसे उत्तम कार्य है। दान छुपाकर दो, छपाकर कर नहीं दें। यह बात मुनिश्री निरोग सागर महाराज ने नेहा नगर में पात्र चयन के पूर्व धर्म सभा में कही। उन्होंने कहा कि दान का मतलब पाप को तथा गंह हो जाएं औपचार्य अपने धन को तालाब जैसे नहीं बनाएं बाबड़ी जैसा बनाएं बाबड़ी को जितना जल निकलता है उतना ही बढ़ता जाता है उसी प्रकार धर्म में जितना भी धन है उतना करते रहना चाहिए। और जिन्होंने भी दान किया है आज उनकी कमाई भी दान से कई गुना बढ़ गई है। आपके सामग्री में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जो निरंतर देता रहता वह निरंतर पाता है यही प्रकृति का नियम है जो बोता है वही पाता है।

इंजीनियर मयूर जैन केबीसी में हॉट सीट पर 11वें प्रश्न तक पहुंचे, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित ग्रन्थ अमिताभ बच्चन को भेट किया

भोपाल (विश्व परिवार)। नारायण नगर में निवास कर रहे, इंजी. मयूर जैन सौ. सारी जैन सामाजिक समिति विभाग के फेमस टीवी शो कैन बोगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंचकर, 11वें प्रश्न तक पहुंचे, प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया मयूर शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे थे धर्म पली साक्षी जैन के साथ पूरा परिवार जैन संघीय की साधना में धर्म अध्यात्म की साधना में लीन है, विशेष बात यह है कि कोई सी टीम के बुलावे पर मयूर पहले परिवार सहित मुंबई में विराजमान राष्ट्र संत आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे और आचार्य श्री के कर कमलों से उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ अमिताभ बच्चन को ओर के बी सी के सेट पर अमिताभ बच्चन को भेट की थी बच्चन ने स्वीकार कर मस्क पर लगते हुए अपने लिए जयकुमार संगीत जैन के सुपुत्र बता या मयूर जैन विदिया निवासी जयकुमार संगीत जैन के अनुसार उत्तम सर्वोत्तम श्रीमती सीमा जैन, मुरवास के दामाद ही अंशुल के अनुसार उत्तम प्रश्न दिया विश्व प्रसिद्ध टी वी कॉन्टेन्स कैबिनेट ने कोरोडपति में अपनी प्रतिभा के बल पर भागीदारी कर सफलता हासिल की है। इस एपिसोड का प्रसारण आगामी 10 मार्च को किया जा रहा है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बक्शी ने सफाई कार्यों का किया निरीक्षण



जामुल (विश्व परिवार)। नगर पालिका जामुल में सफाई कार्यों का निरीक्षण सुबह ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बक्शी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान वाड़ क्र. 13 में बड़े नाले की स्थिति देखकर सफाई सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि नालों की सफाई पूर्ण रूप से कराये आधे अधुरे न करें। साथ ही नाले से निकलने वाले कचड़ों को दुसरे दिन सुबह ही ताले ले रहे थे और साथ में मैलायितान एवं देमोसाइर दवाई का डिक्कड़ करवाया जा रहा था। उन्होंने किसी भी विशेष बात यह कहा कि उन्हें दिन सुबह ही ताले ले रहे हैं। श्रीमती बक्शी ने कहा कि सफाई कार्यों का निरीक्षण करने आज निगम की स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा।

जामुल एवं अंशुल कार्यों को निरीक्षण करने वाले विशेषज्ञों ने उन्हें समाप्ति के समान अधिकारी को अद्वितीय अवृत्ति दिया।

ई-रिक्षा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान पर परिवहन सचिव ने ली वर्चुअल बैठक



सुचारू और व्यवसित यातायात हेतु ई-रिक्षा एवं ऑटो की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श

रायपुर (विश्व परिवार)।

ई-रिक्षा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह अयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर तथा जगदलपुर करने के उपायों पर विचार-विमर्श की गई।

ई-रिक्षा एवं ऑटो के संबंध में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इनके अतिरिक्त राज्य साधन एवं जिला प्रशासन को द्वारा रायपुर प्रश्न से जो अधिकारीय विभागों पर विचार-विमर्श के उपर्युक्त अधिकारीय विभागों के बीच विवाद जैसा करने के बारे में भी विचार-विमर्श की गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव : बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विचार करने के लिए आयोजित विचार-विमर्श की गयी। बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो की संख्या में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मार्गे गए सुझाव :

बैठक में ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन में नियंत्रण के कारण उत्पन्न विवरणों के बारे में जानकारी ली गई।

